पत्रांक–10/न–57/2021..................

शिक्षा विभाग बिहार, पटना

प्रेषक,

विजय कुमार झा
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

अध्यक्ष
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली–110092

विषय– सेंट जोसेफ स्कूल, महाराजगंज, सीवान को CBSE बोर्ड, नई दिल्ली से संबंद्धता हेतु अनापति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सेंट जोसेफ स्कूल, महाराजगंज, सीवान, को CBSE से अनापति प्रमाण–पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य /सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिए गये शपथ–पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों/कागजातो की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई –

1. यह विद्यालय सेंट जोसेफ एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के अधीन संचालित है इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नही हैं सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है

2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेन्चाइजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है

3. विद्यालय को 190 डीसमील भूमि उपलब्ध है विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध है केन्द्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरुप है अथवा नही समिति द्वारा इन संस्थानों का स्थल निरीक्षण एवं कागजातों की सत्यता की जाँच नही करायी गयी है इस संबंध में विद्यालय द्वारा प्राप्त अभिलेखों एवं शपथ पत्र के आधार पर ही विभाग द्वारा समीक्षा की गई है

4. विद्यालय के कुल 23 शिक्षक नियुक्त हैं सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रिय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरुप है अथवा नहीं

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रुप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरुप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रुप से शपथ पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या–238, दिनांक–04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित एवं अनिवार्य शर्तें स्वीकार हैं

(i) विद्यालय की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नही लिया जायेगा ऐसे

Digitally signed by Pushkal Giri
Date: 2025.04.29 14:36:12 +05:30
Reason: reason
Location: location

बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएँ तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रति वर्ष रुपया 2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा को रखा गया है ।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नही लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से **Draw of Losts** के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए वाले बच्चों को विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नही होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्याम से दावा किया गया है, फिर भी सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ हीं सी0 बी0 एस0 ई0 को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा वापस उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा । शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक-18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरीक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा ।

उपर्युक्त वर्णित शर्तों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार " सेंट जोसेफ स्कूल, महाराजगंज सीवान , को सी0 बी0 एस0 ई0 ऐफिलियेशन बायलॉज के कंडिका-3 में वर्णित प्रावधानानुसार 3 सेक्शन हेतु अनापति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सी0 बी0 एस0 ई0 अपने स्तर से संतुष्ट होने पर ही विद्यालय की संबंधता देने पर विचार करेगी

विश्वासभाजन

ह0/-

(विजय कुमार झा)

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

पटना, दिनांक..............................

ज्ञापांक :-10/न-57/2021........................

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

पटना, दिनांक..............................

ज्ञापांक :-10/न-57/2021........................

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, सेंट जोसेफ स्कूल, महाराजगंज सीवान, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

19/11/2021

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)